राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1660/2010

रूपम लक्ष्मी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2010
आदेश की दिनांक : 03.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर आदेश दिनांक 21.07.2007 (अनुलग्नक–1) द्वारा हुई थी तथा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होडू (बाडमेर) किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.2007 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थिया उक्त विद्यालय में 02.08.2007 से 13.9.2007 तक कार्यरत रही। उसके पश्चात् अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसौली (अलवर) में किया गया जहाँ अपीलार्थी दिनांक 14.09.2007 से निरन्तर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2007–08 व 2008–09 में पढ़ाये हुए विषयों का परीक्षा परिणाम शत–प्रतिशत रहा है (अनुलग्नक–3 एवं 4)। अपीलार्थी के वार्षिक कार्य प्रतिवेदन में भी कोई प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित नहीं की गई है और न ही उसको कभी आरोप–पत्र व आरोप विवरण–पत्र जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.01.2010 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ प्राध्यापकों जिनकी नियुक्ति अपीलार्थी के साथ दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर की गई थी उनको कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवानियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची में अंकित प्रावधानुसार नियमित वेतन श्रंखला पीबी–2 (9300–34800 एवं ग्रेड पे 4200/–रु) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते देने का आदेश पारित किया. किन्तु अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारण के उक्त नियमित वेतन श्रृंखला अन्य देय लाभों से वंचित किया गया है, जो मनमानी एवं दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद

14 व 16(1) की अवेहलना है। अपीलार्थी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 13.1.2010 (अनुलग्नक–5) के द्वारा दो वर्ष की परीविक्षा अवधि पूर्ण करने के आधार पर नियमित वेतन श्रृंखला एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते देने के लिए निवेदन किया, किन्तु विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता जरिये दिनांक 08.02.2010 (अनुलग्नक–6) द्वारा नोटिस प्रत्यर्थीगण को भिजवाते हुए दो वर्ष की परीविक्षा अवधि पूर्ण करने के आधार पर नियमित वेतन श्रंखला पीबी–2 (9300–34800 एवं ग्रेड पे 4200/– रुपये) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते देने के लिए निवेदन किया किन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही अपीलार्थिया को दो वर्ष की परीविक्षा अवधि पूर्ण करने पर उक्त लाभ ही दिये गये। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को उसके कनिष्ठों के समान कार्यग्रहण की दिनांक 02.08.2007 से दो वर्ष की परीविक्षा अवधि पूर्ण करने के आधार पर दिनांक 02.08.2009 से नियमित वेतन श्रंखला पीबी–2(9300–34800 एवं ग्रेड पे 4200/– रुपये एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते देने का आदेश पारित कर परिणामस्वरूप लाम दिलवाये जाये एवं एरियर राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से श्व्याज दिलवाया जाये।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अपीलार्थी का विवाद 2009 में था जो कि अपील को चुनौती वर्ष 2010 में दी है जोकि लगभग 12 माह विलम्ब से पेश की है इसलिए भारतीय मर्यादा अधिनियम की धारा –05 एवं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा –09 के अनुसार इतने लम्बे समय के बाद माननीय अधिकरण के समक्ष विलम्ब के आधार पर बिना कोई ठोस कारण अंकित किये अपील पेश कर दी। अपीलार्थी की कार्यशैली प्रोबेशन काल से ही सही नहीं थी अपीलार्थी के विरूद्ध चार्ज नहीं लेने, उच्चाधिकारियों के आदेशों को मानने से इन्कार करने, बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक लगाये जाने पर कार्य नहीं करने और बार–बार उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, जीए 83 फार्म प्रस्तुत नहीं करने एवं विद्यालय के कर्मचारियों से अभद्रता का व्यवहार करने के कारण, अपीलार्थी के विरूद्ध सेवा नियमों के तहत सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिए गए है, जो अनुलग्नक–आर/1 पर उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.08.2007 से दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के बाद दिनांक 02.08.2009 से नियमित वेतन श्रृंखला

पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे 4200 रुपये और नियमानुसार भत्ते दिए जाने एवं एरियर 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रस्तुत अपील में बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर आदेश दिनांक 21.07.2007 (अनुलग्नक–1) द्वारा हुई है। अपीलार्थी को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान दिया जाना था, जो अपीलार्थी को दिनांक 02.08.2009 से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमित वेतनमान स्वीकृत नहीं किए जाने के फलस्वरूप यह अपील दायर की गई है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार परिवीक्षाकाल में अपीलार्थी की कार्यशैली सहीं नहीं होने, अपीलार्थी द्वारा चार्ज नहीं लेने, उच्चाधिकारियों के आदेश को मानने से इन्कार करने, बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक लगाए जाने पर कार्य नहीं करने और बार–बार उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, जी.ए 83 फार्म प्रस्तुत नहीं करने एवं विद्यालयों के कर्मचारियों से अभद्रता का व्यवहार करने के कारण, अपीलार्थी के विरूद्ध सेवा नियमों के तहत सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिए गए है, जो अनुलग्नक–आर/1 पर उपलब्ध है। जिस कारण अपीलार्थी को विलम्ब से नियमित स्वीकृत वेतनमान दिया गया है। बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अपीलार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला दिनांक 02.08.2009 से स्वीकृत की जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.01.2015 द्वारा दिनांक 02.08.2009 से नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जा चुका है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलर्थी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी होने के कारण और परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार सही नहीं होने के कारण उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण नियमित वेतनमान में विलम्ब स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक–आर/1 से स्पष्ट है कि आरोप पत्र दिनांक 19.10.2011 को जारी किया गया, जबकि अपीलार्थी का परिवीक्षाकाल दिनांक 02.08.2009 को ही समाप्त हो गया था। परिवीक्षाकाल में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच लम्बित रहने का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.01.2015 द्वारा नियमित वेतनमान दिनांक 02.08.2009 से स्वीकार किया गया।

अतः उक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नियमित वेतनमान स्वीकृत करने में प्रत्यर्थी विभाग के स्तर पर अकारण विलम्ब हुआ है। आरोप पत्र अथवा विभागीय जांच किस दिन से लम्बित मानी जाएगी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यूनीयन ऑफ इण्डिया बनाम के.वी. जानकीरमन एवं अन्य

(1991)4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 109 में निर्णय दिनांक 27.08.1991 द्वारा इस संबंध में निम्न अभिनिर्णित किया गया है:–

"(1) It is only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee, The sealed cover procedure is to be resorted to only after the Charge-memo/charge-sheet is issue. To deny promotion the disciplinary/ criminal proceedings must be at the relevant time pending at the stage when charge-memo/charge-sheet has already been issued to the employee. The pendency of preliminary investigation prior to that stage will not be sufficient to enable the authorities to adop: the sealed cover procedure. If the allegations are serious and the authorities are keen in investigating them, ordinarily it should not take much time to collect the relevant evidence and finalise the charges. Further, if the charges are that serious, the authorities have the power to suspend the employee under the relevant rules, and the suspension by itself permits a resort to the sealed cover procedure. The authorities thus are not without a remedy. This finding of the Full Bench of the Tribunal is therefore, acceptable."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को नियमित वेतनमान नियत तिथि से स्वीकृत किया जा चुका है। अतः इस हद तक अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष शेष नहीं रहता है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियमित वेतनमान स्वीकृत करने में लगभग साढे चार साल का विलम्ब किया है दिनांक 02.08.2009 से देय वेतनमान आदेश दिनांक 14.01.2015 द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी को आर्थिक नुकसान हुआ है। अतः विलम्ब से किया गया भुगतान पर छः प्रतिशत ब्याज अदा करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

आदेश आज दिनांक 03.11.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य